email.

संख्या- 2523 /9-8-2023-05-बजट-2023

प्रेषक

डा.राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2023

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 02 नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।**

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश की छोटी नागर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एल0ई0डी0 लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क, खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनित सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये है तथा शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 टी0सी0, दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण /संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्राविधानित धनराशि में से नगर पंचायत बिधूना, जनपद-औरैया एवं नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रू0 596.46 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 298.23 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठानवे लाख तेइस हजार मात्र), उक्त 02 निकायों जिनका विवरण निम्नवत् है, को अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- नगर पंचायत बिधूना, जनपद-औरैया ।				
क्रमांक	कार्य/मद	कार्य/मद की प्रस्तावित लागत की धनराशि (लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1.	डेवलपमेंट ऑफ कम्यूनिटी सेटर एट बिधूना डिस्ट्रिक्ट औरैया।	58.38		
2.	डेवलपमेंट ऑफ मेन इन्ट्री पैचेस ऑफ इन्ट्री एरिया ऑफ नगर पंचायत बिधूना डिस्ट्रिक्ट औरैया।	67.49		
3.	डेवलपमेंट ऑफ शहीद भगत सिंह चौराहा एट नगर पंचायत बिधूना डिस्ट्रिक्ट औरैया।	32.37		

4.	डेवलपमेंट ऑफ डा0 भीमराव अम्बेडकर चौक एट नगर पंचायत बिधूना डिस्ट्रिक्ट औरैया।	10.31		
5.	डेवलपमेंट ऑफ लोहिया पार्क एट नगर पंचायत बिधूना डिस्ट्रिक्ट औरैया।	41.14		
6.	डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड तालाब एट नगर पंचायत बिधूना डिस्ट्रिक्ट औरैया।	69.58		
7.	अनग्रेडेशन ऑफ एक्सिस्टिंग रोड़ दिबियापुर रोड़ टू मुकेश पाण्डेय आउस इन मोहल्ला किशोर गंज एट नगर पंचायत बिधूना।	30.65		
8.	कंसट्रक्शन ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल रोड़ ऑफ उदय नारायण हाउस टू सुरेंद्र तोमर हाउस इन मोहल्ला अम्बेडकर नगर एट नगर पंचायत बिधूना।	15.86		
9.	लेयिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल एण्ड एल टाइप नाली फ्राम द हाउस ऑफ सलीम टू करीमुद्दीन इन मोहल्ला अम्बेडकर नगर एट नगर पंचायत बिधूना।	8.4		
10.	लेयिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल एण्ड एल टाइप नाली फ्राम द प्लाट ऑफ इस्लाम टू कल्लान हाउस इन मोहल्ला अम्बेडकर नगर एट नगर पंचायत बिधूना।	10.57		
11.	लेयिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल एण्ड एल टाइप नाली फ्राम नीमकरोली टेंपल टू हाउस ऑफ सतीश कुमार फौजी इन मोहल्ला गांधी नगर एट नगर पंचायत बिधूना।	18.43		
12.	लेयिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल एण्ड एल टाइप नाली फ्राम सतीश शुक्ला हाउस टू जितेन्द्र कुशवाहा हाउस एट मोहल्ला किशोर गंज एट नगर पंचायत बिधूना।	6.60		
13.	लेयिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल एण्ड एल टाइप नाली फ्राम राम नरेश हाउस टू सुदामा प्रसाद हाउस एट मोहल्ला किशोर गंज एट नगर पंचायत बिधूना।	22.10		
14.	जी0एस0टी0 व अन्य।	4.58		
	कुल योग	396.46	396.46	198.23
	2- नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव ।			
1.	वार्ड नं0-02, मोती नगर में नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी, उन्नाव में टाण्डा सातन रोड से कान्हा गौशाला होते हुए एम0आर0 एफ0 सेंटर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	09.09		
2.	वार्ड नं0-07, फिरोज नगर में लियाकत पुत्र शौकत के मकान से शाहिद अली पुत्र वाजिद अली के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	11.44		
3.	वार्ड नं0-01, सुभाष नगर पश्चिमी में इदरीस खॉ पुत्र करम हुसैन के मकान से विनोद मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	12.25		
4.	वार्ड नं0-01, सुभाष नगर पश्चिमी में काली मिट्टी रोड माँ शीतला चौराहे से अम्बिका गुप्ता पुत्र लेखपाल के मकान तक रोड व नाली का निर्माण कार्य।	23.51		

5.	वार्ड नं0-02, मोती नगर में नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी में काली मिट्टी से मिश्रीलाल के मकान से होते हुए सुनील के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	8.64		
6.	वार्ड नं0-03, आजाद नगर में नगर पंचायत ऑफिस से गुडियन कुआँ तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	18.97		
7.	वार्ड नं0-04, गाँधी नगर में पारस वर्मा के मकान से अफीमी यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	7.59		
8.	वार्ड नं0-06, मो0 शास्त्री नगर पंचायत ऑफिस से जगन्नाथ सैनी पुत्र भरोसे के मकान तक रोड व नाली का निर्माण कार्य।	19.41		
9.	वार्ड नं0-08, किदवई नगर में अयोध्या पुत्र नारायण के मकान से राकेश शर्मा पुत्र गंगाप्रसाद के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	8.39		
10.	वार्ड नं0-09, इन्दिरा नगर में विनोद मिश्रा पुत्र गोपीनाथ मिश्रा के मकान से राधेलाल बाजपेई के मकान से होते हुए मुकेश पुत्र छोटेलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	6.45		
11.	इस्टालेशन व कमिशनिंग ऑफ 12.5 मीटर हाईमास्ट विद 06 नं0-120 वाट एल0ई0डी0 फ्लड लाईट।	21.35		
12.	एस0टी0पी0 पोल 7.5 मीटर लाम्ना	1.01		
13.	110 टू 130 वाट एल0इ0डी0 स्ट्रीट लाइट फीटिंग	4.73		
14.	एड कॉस्ट ऑफ फाउन्टेन	12.48		
15	एड 1 परसेंट ऑफ लेबरसेस।	1.65		
16.	जी0एस0टी0 व अन्य।	33.53		
	कुल योग	200.49	200.00	100.00
	महायोग		596.46	298.23

(रूपये दो करोड़ अट्ठानवे लाख तेइस हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध :-

(1) उक्त दोनो निकाय की कार्ययोजना में सम्मिलित इंटरलाकिंग रोड़ से संबंधित कार्य के स्थान पर सी.सी. रोड़ निर्माण का कार्य किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 टी0सी0, दिनांक 05-01-2019 में पं0 दीनदयाय उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देश के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) यदि निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को संबंधित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(5) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रनेज से संबंधित कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्णय शासनादेश सं0-3788/9-5 2012-111बजट/2010 दिनांक 09-10-2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा

रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सी0एण्डडी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(6) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो संबंधित अधिशासी अधिकारी/संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(7) नगर निकायों द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड्कों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07-06-2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार अवर अभियन्ता अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के अध्यक्ष चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।

(10) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय ट्रास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्ययोजना के कार्यों में यदि कोई स्थान/कार्य परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना निकाय द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(14) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।

(15) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जांच कराकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक होगी।

(17) जिन निकायों की कार्ययोजना में इण्टरलॉकिंग से संबंधित कार्य सम्मिलित थे, उनको परिवर्तित करते हुए उनके स्थान पर सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा। यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों अथवा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से वहन किया जायेगा।

23

(18) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को नागर निकाय द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर अंतरित की जायेगी। निकायों का यह दायित्व होगा कि वे उक्त योजना के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर कैंसिल्ड चेक सहित तत्काल निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध करायेगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,98,23,000/- (रूपये दो करोड़ अट्ठानवे लाख तेइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-368-X-2023-24-दिनांक 15-12-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना की धनराशि को निकाय के खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु योजना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते के पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ 03 दिन के भीतर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Digitally Signed by
डॉ.राजेंद्र पैंसिया
Date: 18-12-2023 14:14:14
Reason: Approved

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव